

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-240/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 अल्का वर्मा, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 वर्मा प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगी तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेगी। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 6- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 7- नियुक्ति अनुभाग-7
- 8- सम्बन्धित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-241/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अवधेश सिंह, उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
- 3- आयुक्त, चकबन्दी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 8- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- सम्बन्धित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-242/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सुनील कुमार-11, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सुनील कुमार प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- आयुक्त, चकबन्दी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 8- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- सम्बन्धित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-243/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन एवं संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 7- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- सम्बन्धित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।